न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 96 सन 2020

अनवान :–

1. रामेश्वरलाल क़स्वा पुत्र भजना पत्नी प्रेम जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बनवारीलाल 2 सुलतान पुत्र भजना पत्नी प्रेम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3 सन्तोष 4. कमला 5. गीता पुत्रीया भजना पत्नि प्रेम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 23/7/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 339/331 के खसरा न0 37/2 की 0.9480हैक 9/3 की 4.3380हैक कुल 5.2860हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भजना पत्नि प्रेम के नाम से दर्ज है।

वादी की माता भजना पत्नि प्रेम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ही है भजना पत्नि प्रेम के नाम से दर्ज भूमि उसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की बहने है प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 52के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि जो भजना पत्नि प्रेम के नाम से दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 2 बहिब का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे ता कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता भजना पत्नि प्रेम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है भजना पत्नि प्रेम के जायज व कानुनी वारसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो भजना पत्नि प्रेम के नाम से दर्ज भूमि के बहिब के हकदार

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ,जो वादी की बहन एवं भजना पत्नि प्रेम की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला जवाब दावा पेश किया गया। ईकबाल जबाब दावा शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 339/331 के खसरा न0 37/2 की 0.9480हैक 9/3 की 4.3380हैक कुल 5.2860हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भजना पत्नि प्रेम के नाम से दर्ज है।

वादी की माता भजना पत्नि प्रेम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ही है भजना पत्नि प्रेम के नाम से दर्ज भूमि उसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की बहने है प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 52के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि जो भजना पत्नि प्रेम के नाम से दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

सत्यमेव जयते

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 339/331 के खसरा न0 37/2 की 0.9480हैक 9/3 की 4.3380हैक कुल 5.2860हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भजना पत्नि प्रेम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है वादी की माता भजना पत्नि प्रेम देहान्त हो चुका है भजना पत्नि प्रेम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो भजना पत्नि प्रेम के नाम से दर्ज भूमि को बहिब हकदार है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मृत्यू एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टी होती है। अर्थात वाद भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जायज हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका बाहमी बटवारा कर लिया है उसके अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हकों का त्यागं किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 339/331 के खसरा न0 37/2 की 0.9480हैक , 9/3 की 4.3380हैक कुल 5.2860हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भजना पत्नि प्रेम के नाम से दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/— रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/7/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1 रामेश्वरलाल कस्वा पुत्र भजना पत्नी प्रेम जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बनवारीलाल 2 सुलतान पुत्र भजना पत्नी प्रेम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

3 सन्तोष 4. कमला 5. गीता पुत्रीया भजना पत्नि प्रेम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 96 सन 2020 निर्णय दिनांक– 23/07/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज़ की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 339/331 के खसरा न0 37/2 की 0.9480हैक , 9/3 की 4.3380हैक कुल 5.2860हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भजना पत्नि प्रेम के नाम से दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू-स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner